समाहरणालय मधेपुरा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27-03-2014

16 वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित जिले में चल रहे कार्यक्रम एवं अभियान

- जिले में शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं स्वच्छ लोक सभा चुनाव, 2014 हेतु उपयुक्त माहौल निर्माण के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के दुर्दान्त अपराधी डोमी यादव, धुरिया सौतारी, थाना चौसा को अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छः मास हेतु निरूद्ध रखने का आदेश जारी किया गया है। वर्त्तमान में अभियुक्त मंडल कारा में संसीमित है। इसके विरूद्ध दर्जनों अपराधिक मामले दर्ज हैं तथा समाज, शांति एवं व्यवस्था तथा लोक सभा चुनाव, 2014 हेतु इसका मुक्त रहना खतरनाक है।
- इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 धारा-3(3) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जिले के 5 कुख्यात एवं साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर एवं बंधेज की कार्रवाई की है। अरूण ऋषिदेव, सुरेन मल्लिक, किसन मल्लिक, फुसन ऋषिदेव, सभी निवासी, परसाही टोला लक्ष्मीनियां थाना कुमारखंड (भतनी) जिला मधेपुरा, को सुपौल जिला हेतु जिला बदर किया गया है तथा इन्हें जदिया थाने में प्रतिदिन 28-03-2014 से सम्पूर्ण चुनाव अवधि तक 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न के बीच सदेह उपस्थिति दर्ज करनी होगी। सुवानन्द सरदार को बंधेज करते हुए विशेष परिस्थितियों में चुनाव अवधि तक कुमारखंड थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। सभी को असामाजिक तत्व घोषित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने मतदाताओं को भयमुक्त माहौल प्रदान करने का निर्णय लिया। हालांकि इन्हें मतदान हेतु अधिकार दिया गया है।
- दिनांक 26-03-2014 तक जिले में कुल 34 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये हैं, जबकि कुल 46 शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किये गये हैं। चुनावी घोषणा के बाद अबतक कुल 398 सी0आर0पी0सी0 के मामले दर्ज किये गये हैं, साथ ही अबतक कुल 183 गैर जमानती वारंट तामिला कराये गये हैं। कुल 24 नाकाओं को आपरेशनल बनाया गया है।
- जिले में फ्लाईंग स्क्वाड टीम द्वारा अबतक तीन शस्त्र, 58 कारतूस जप्त किये गये हैं। 407.22 लीटर देशी एवं 26.04 लीटर आई0एम0एफ0एल0 जप्त किये गये हैं तथा कुल 03 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी हैं।
- आज विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार द्वारा जिले में विधि-व्यवस्था की गहन समीक्षा की गयी, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी द्वारा लोक सभा चुनाव के मद्देनजर मधेपुरा जिले में विधि-व्यवस्था संबंधित सभी तैयारियों एवं आंकड़ों से माननीय मुख्य सचिव को अवगत कराया गया एवं विशेष निर्देश प्राप्त किये। इसके संयोजक ओ0एस0डी0 थे।
- जिले में जनशिकायत-कोषांग का गठन किया गया है। कोषांग के वरीय प्रभारी अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा होंगे। निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों की सूचना टोल फ्री नं0-18003456350 पर दी जा सकेगी एवं उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा। आई0सी0 कोषांग के नोडल पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार पासवान को जन शिकायत कोषांग का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। आई0ई0सी0 कोषांग, जिला जनसम्पर्क कोषांग एवं शिक्षा विभाग, मधेपुरा द्वारा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत आज ग्वहरिया प्रखंड के सभी पंचायतों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। साथ ही ई0वी0एम0 द्वारा वोटिंग की भी जानकारी दी गयी। कल 28-03-2014 को घैलाढ़ प्रखंड के सभी पंचायतों में संबंधित मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

Kindly upload it on distt Madhepura, NIC Website
27/3/14

27/3/14
(RAJIV RANJAN)
(MEDIA CELL)